संख्या-4/3359/30-3-13-19बी/2013

प्रेषक,

संतोष कुमार रावत,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 08 जनवरी, 2014

विषय- प्रदेश के विभिन्न परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-105नजा0/2013-16नजारत/2013, दिनॉक 28-10-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कराने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मानकीकृत नक्शा तथा लागत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-2056/30-3-2013-19बी/2013, दिनॉक 03-09-2013 के क्रम में व्यय वित्त समिति द्वारा मानकीकृत नक्शों तथा लागत के अनुरूप कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आगणनों के आधार पर निम्नांकित तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 34.44 लाख (रू0 चौंतीस लाख चवालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में उक्त धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 17.22 लाख (रू0 सत्रह लाख बाईस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपदों के नाम, जिनके पाविहन कार्यालयों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कराया जाना है।	कराये जाने वाले कार्य	कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मानकीकृत लागत (प्रति इकाई)	स्तम्भ-2 में उल्लिखित 07 कार्यालयों हेतु कुल धनराशि जिसकी प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि	द्वितीय/अन्तिम किस्त के रूप में दी जाने वाली अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ ।	एक-एक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण	रू0 8.61	रू0 34.44	रू0 17.22	रू0 17.22

(1) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।

(3) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष को होगा।

(6) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(7) प्रायोजना के मानकीकरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2056/30-3-13-19बी/2013, दिनॉक 03-09-2013 में निहित निर्देशों/शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-06-ड्राइविंग टेस्ट हेतु टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-11/दस-2014, दिनॉक 08 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
संतोष कुमार रावत,
अनु सचिव।

संख्या-4/3359(1)/तीस-3-2013, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ., (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in